अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

../225 अनुराग v/s गोपाल वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम जो इस की तामील जारी
	श्री पी. एस. नरूका — श्री विनोद जैन एड.	
03.04.2025	अनुराग बनाम गोपाल वगैरह (2020 / 00001)	

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2024(2) पेज संख्या 1097, आर0आर0टी0 2023(2) पेज संख्या 919, आर0बी0जे0 2016 पेज संख्या 468 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपील प्रस्तुती में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद, तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.09.2019 को बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये। वर्तमान अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो जवाव प्रस्तुत किया है ना ही स्थगन आदेश के विरूद्ध कोई चाराजोही की है तथा सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब / सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2025 को उपस्थित रहने हेतु पबांद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner